# राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन : 0141–2973804, 2988946 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

**क्रमांकः**– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019–20)/2019/2497 **दिनांक :** 01-10-19

## –::तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड हेतु समय–सारणी एवं दिशा–निर्देश::–

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा सत्र् 2019–20 मे विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थीयों के द्वारा दिनांक 03.07.2019 से 31.07.2019 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिसके क्रम में कौंसिल द्वारा प्रथम व द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग का आयोजन किया जाकर पात्र अभ्यर्थियों को वरियता अनुसार को महाविद्यालय/संस्था व पाठ्यक्रम आवंटित किये जा चुके है, शेष आवेदक जिनकों प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में कोई भी महाविद्यालय/पाठ्यक्रम आवंटन नहीं हुआ है या उनके द्वारा अपनी उपस्थिति किसी भी महाविद्यालय/पाठ्यक्रम में प्रस्तुत नहीं की गई है, तो ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए तृतीय ऑफलाईन काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है –

काउन्सिलिंग स्थान : **चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन के सामने, आरटीडीसी स्वागतम हॉटल के पीछे, जयपुर**

| क्र.सं. | दिनांक व समय | प्रतिदिन आने वाले अभ्यर्थियों का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 04.10.2019 प्रातः 11.00 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिन्होनें टीएसपी क्षेत्र(TSP)/सहरिया(Sahariya) क्षेत्र/दिव्यांगजन(PH)/डिफेन्स(WPP-WDP)/ विधवा/तलाकशुदा के आरक्षण कोटे से आवेदन किया है।**(सूची संलग्न)** |
| 2 | 05.10.2019 प्रातः 08.30 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा ($12^{th}$) में प्राप्तांक 71 प्रतिशत से अधिक हो।**(सूची संलग्न)** |
| 3 | 09.10.2019 प्रातः 08.30 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा($12^{th}$) में प्राप्तांक 67 प्रतिशत से अधिक किन्तु 71 प्रतिशत या इससे कम हो। **(सूची संलग्न)** |
| 4 | 10.10.2019 प्रातः 08.30 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा($12^{th}$) में प्राप्तांक 64 प्रतिशत से अधिक किन्तु 67 प्रतिशत या इससे कम हो। **(सूची संलग्न)** |
| 5 | 11.10.2019 प्रातः 08.30 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा($12^{th}$) में प्राप्तांक 62 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 64 प्रतिशत या इससे कम हो। **(सूची संलग्न)** |
| 6 | 12.10.2019 प्रातः 08.30 बज से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा($12^{th}$) में प्राप्तांक 60 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 62 प्रतिशत से कम हो। **(सूची संलग्न)** |
| 7 | 13.10.2019 प्रातः 08.30 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा($12^{th}$) में प्राप्तांक 57 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम हो। **(सूची संलग्न)** |
| 8 | 14.10.2019 प्रातः 08.30 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा($12^{th}$) में प्राप्तांक 54 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 57 प्रतिशत या इससे कम हो। **(सूची संलग्न)** |
| 9 | 15.10.2019 प्रातः 08.30 बजे से | वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा($12^{th}$) में प्राप्तांक 54 प्रतिशत से कम हो (समस्त अभ्यर्थी)। **(सूची संलग्न)** |

**नोटः**– उपर्युक्त तालिका में यथावर्णित समस्त अभ्यर्थी संबंधित संलग्न सूची में अपना 'Token Number' नोट कर लेवें। काउन्सलिंग के दौरान इसी 'Token Number' से अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जावेगा।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित दिनांक व समय पर **चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, बड़ोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन के सामने, आरटीडीसी स्वागतम हॉटल के पीछे, जयपुर** में आवश्यक रूप से व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को पालन किया जाना आवश्यक है:–

1/10/19

1. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड हेतु उपर्युक्त सारणी में वर्णित श्रेणी व मेरिट अनुसार उनके सामने अंकित दिनांक को अभ्यर्थी को स्वंय उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी स्वंय उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे प्रकरणों में अन्य अभ्यर्थी को रिक्त सीट हेतु पात्र मानते हुए सीट आवंटित कर दी जावेगी। विनिश्चित तिथि एवं निर्धारित समय पर अभ्यर्थी के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उपस्थित अभ्यर्थियों को वरीयतानुसार उपलब्ध सीट का आवंटन कर दिया जावेगा।
2. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में वे समस्त अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, आवेदन के पश्चात् अभ्यर्थी को प्रथम अथवा द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है या जिन अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी काउन्सलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है।
3. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में Upward Movement नियमानुसार नहीं किया जायेगा।
4. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में प्रथम व द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
5. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में अभ्यर्थी को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रतियों के साथ निम्नलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उपस्थित होना अनिवार्य है –
   - विकल्प पत्र(Option Form)**(संलग्न)**
   - ऑनलाईन एप्लीकेशन फॉर्म।
   - 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
   - प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)।
   - मूल निवास।
   - जाति प्रमाण पत्र।
   - आधार कार्ड अथवा अन्य कोई भी फोटो पहचान आई.डी जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई।
   - अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रस्तुत किये हों जैसे TSP Certificate, P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।**
   - दो कलर पासपोर्ट साईज फोटो।
6. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त मूल दस्तावेजों के अभाव में काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।
7. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत अंक–तालिकाओं (कक्षा 10वीं व 12वीं) का मिलान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी समकक्षता निर्धारित करने संबंधित अनुदेशिका से किया जावेगा, कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड की समकक्षता नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग हेतु अपात्र माना जावेगा तथा अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु सीट आवंटित नहीं की जावेगी।
8. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा**

**अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।**

10. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।
11. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में आवंटन किया जावेगा।
12. इस राउण्ड के दौरान किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये विवरण में श्रेणी परिवर्तन, मूल निवास क्षेत्र परिवर्तन, अंकतालिका में परिवर्तन आदि किसी भी परिर्वतन का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी कोई भी विसंगति होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीट आवंटन नहीं किया जायेगा।
13. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन **(Physical Handicapped)** श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु योग्य पाये जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थियों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।
14. इस राउण्ड के दौरान अभ्यर्थियों के आवंटन के पश्चात् उनसे संबंधित श्रेणी की रिक्त रही सीटों को नियमानुसार अन्य संबंधित श्रेणी में शामिल कर आगामी काउन्सलिंग की जावेगी। साथ ही उपर्युक्त तालिका के क्रम सं. 1 मे अंकित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन पश्चात संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग न करने अथवा निर्धारित तिथि व समय पर काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होने की स्थिति में उन्हें इस संबंधित श्रेणी की सीट आवंटित नहीं की जा सकेगी।
15. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन किये गये है तो ऐसे अभ्यर्थियों को किसी एक चयनित आवेदन पत्र पर ही आवंटन होगा एवं शेष आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त कर दिये जायेगे।
16. तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड के दौरान रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी आवंटन के साथ–साथ अभ्यर्थियों की मेरिट व महाविद्यालय व पाठ्यक्रम चयन की वरीयता अनुसार प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी तैयार की जावेगी, जिस पर आवंटन तृतीय काउन्सलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय व निर्धारित शर्तों के अनुसार रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में रिक्त हुई इस सीट पर प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से आवंटन किया जावेगा, जिसकी सूचना कौंसिल की वैबसाईट www.rajasthanparamedicalcouncil.org पर यथा समय उपलब्ध करवाई जावेगी। प्रतीक्षा सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्टिंग नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी को किसी महाविद्यालय व पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
**रजिस्ट्रार**

# राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन : 0141–2973804, 2988946 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

## विकल्प–पत्र

मैं, ........................................................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ........................................ ........................................... जन्म तिथि ............................... निवासी ............................................................ ................................................................................ जिला ................................ दिनांक ........................ को आयोजित ऑफलाइन काउन्सिलिंग में महाविद्यालय व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीट आवंटन हेतु वरीयतानुसार निम्नलिखित विकल्प प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ–

| क्र.सं. | महाविद्यालय का नाम | जिला | पाठ्यक्रम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

यदि उपर्युक्त महाविद्यालय व पाठ्यक्रम में सीट रिक्त नहीं हो तो मैं अन्य अभ्यर्थी द्वारा जॉइनिंग नहीं करने की स्थिति में सीट रिक्त होने पर निम्न वरीयता अनुसार प्रतीक्षा सूची में सीट आवंटन हेतु विकल्प प्रस्तुत करता/करती हूँ–

| क्र.सं. | महाविद्यालय का नाम | जिला | पाठ्यक्रम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

**अभ्यर्थी का नाम व हस्ताक्षर**